

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक/पटना, दिनांक-
06/पणन(स0)-01/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत गठित PVCS के सदस्य किसानों एवं PVCS/संघ/फेडरेशन के पदधारकों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों को योजना कार्यान्वयन के सफल संचालन के साथ-साथ योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का कुल सकल राशि रू0 3,75,41,500/- (तीन करोड़ पचहत्तर लाख एकतालीस हजार पाँच सौ) मात्र का वित्तीय वर्ष 2024-25 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत गठित PVCS के सदस्य किसानों एवं PVCS/संघ/फेडरेशन के पदधारकों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों को योजना कार्यान्वयन के सफल संचालन के साथ-साथ योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का कुल सकल राशि रू0 3,75,41,500/- (तीन करोड़ पचहत्तर लाख एकतालीस हजार पाँच सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष, 2024-25 में स्वीकृत योजना प्रस्ताव के आलोक में योजना की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी (रू0 93,85,375/-) एवं 75 प्रतिशत अनुदान (रू0 2,81,56,125/-) अर्थात् कुल राशि रू0 3,75,41,500/- (तीन करोड़ पचहत्तर लाख एकतालीस हजार पाँच सौ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत 25 प्रतिशत राशि-मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष-0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-54 निवेश, विषय शीर्ष-01 निवेश, विपत्र कोड- 09-4425001080166 एवं 75 प्रतिशत राशि- मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष 06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड-09-2425001080116 अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

7. योजना अन्तर्गत PVCS के किसान सदस्य, PVCS और संघ के बोर्ड के सदस्य/पदधारक, PVCS संघ एवं फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण वेजफेड द्वारा तैयार मापदण्डों के अनुरूप दिया जायेगा।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(स0)-01/2025 के पृष्ठ संख्या-12./टि0 पर दिनांक-27.03.2025 को प्राप्त है।

9. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-06/पणन(स0)-01/2025 के पृष्ठ संख्या-13./टि0 पर दिनांक- 27.03.2025 को प्राप्त है।

ह0/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....600...../पटना, दिनांक.....27/03/2025.....
06/पणन(स0)-01/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

सरकार के अपर सचिव।